मध्यप्रदेश सरकार द्वारा निर्मित नियम

(अधिसूचना क्रमांक 29566–4315/21ख/–मध्यप्रदेश राजपत्र, भाग 4 (ग) दिनांक 14.09.1992 पृष्ठ 611 पर प्रकाशित

प्रारम्भिक

1. (1) ये नियम मध्यप्रदेश स्थानीय अन्वेषण हेतु कमीशन नियम कहे जायेंगे।

(2) इनका विस्तार समस्त मध्यप्रदेश में होगा,

2. इन नियमों में जब तक सन्दर्भ से अन्यथा नहीं हो :–

(क) ''संहिता'' का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 से होगा।

(ख) ''कमीशन'' का अर्थ सिविल प्रक्रिया संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 26 नियम 9 के अधीन निकाल जाने वाले कमीशन से होगा।

(ग) ''राजस्व अधिकारी'' का अर्थ तहसीलदार व नायब तहसीलदार से होगा और उसमें राजस्व लिपिक, मापक एवं पटवारी सम्मिलित होंगे।

राजस्व अधिकारी जिनके नाम कमीशन निकाला जा सकेगा

3. संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 26 नियम 9 में उल्लेखित किसी कार्य हेतु जब न्यायालय किसी वाद या कार्यवाही में स्थानीय अन्वेषण किया जाना अपेक्षित एवं उचित (त्मुनपेपजम ंदक चतवचमत) समझे तो वे अपनी स्थानीय अधिकारिता में ऐसा अन्वेषण करने के लिए किसी राजस्व अधिकारी के नाम कमीशन निकाल सकेंगे।

परन्तु यह कि किसी विशेष कारण से जो विलिखित किये गये हॉ, ऐसा कमीशन अपनी स्थानीय अधिकारिता के बाहर स्थानीय अन्वेषण के लिये किसी राजस्व अधिकारी के नाम निकाल सकेंगें।

4. ऐसा कमीशन उस जिले के कलेक्टर के मार्फत निकाला जावेगा जिसके अधीनस्थ वह राजस्व अधिकारी हो और कलेक्टर को उसे राजस्व अधिकारी के नाम आवश्यक स्थानीय अन्वेषण करने हेतु पृष्ठांकित करेगा।

5. अगर कलेक्टर का यह मत हो कि वह राजस्व अधिकारी सरकार के हित को ध्यान में रखते हुये ऐसा स्थानीय अन्वेषण नहीं कर सकेगा, तब वे अपना मत कमीशन पर पृष्ठांकित कर प्रेषित करने वाले न्यायालय को वापिस कर देंगे। उनका मत निश्चायक (ब्यदबसनेपअम) रूप से स्वीकार किया जावेगा कि उस राजस्व अधिकारी की सेवा उपलब्ध नहीं है।

6. (1) इन नियमों के अधीन जिस राजस्व अधिकारी के नाम कमीशन निकाला गया है, वह मध्यप्रदेश यात्रा भत्ता नियमों के अधीन यात्रा एवं दैनिक भत्ता प्राप्त करने का अधिकारी होगा।

(2) न्यायालय द्वारा स्थानीय अन्वेषण के कार्य के किये नियत की गई फीस में भी आधी फीस सरकार को जमा की जावेगी।

(3) कार्य की प्रकृति, स्थानीय अन्वेषण में लगने वाले अनुमानित दिन एवं दैनिक भत्ते के अतिरिक्त जेब–खर्च राजस्व अधिकारी का उस समय होगा, जबकि वह स्थानीय अन्वेषण करेगा, को ध्यान में रखकर फीस नियम की जावेगी।

(4) कमीशन निकालने के पूर्व न्यायालय ऐसे पक्षकार या पक्षकारों से और ऐसे अनुपात (च्तवचवतजपवदे) में जैसा वे उचित समझें, यात्रा भत्ता एवं फीस न्यायालय में जमा करवायेंगे।

(5) कमीशन का निष्पादन पूर्ण होने पर राजस्व अधिकारी अपनी लिखित रिपोर्ट एवं जितनी दूरी उसने यात्रा की थी, का विवरण वापिस करेगा, तब न्यायालय उसकी जैसी उचित समझे जॉच करने पश्चात् उस नियम के अनुसार गणित कर निश्चित किया गया यात्रा भत्ता एवं उसके हिस्से की फीस का भुगतान उसे कर देंगे।

(6) राजस्व अधिकारी इसके अतिरिक्त अन्य कोई यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता सरकार से प्राप्त करने का अधिकारी नहीं होगा।

राजस्व अधिकारी से भिन्न अन्य अधिकारी जिनके नाम कमीशन निकाला जा सकता है

7. संहिता की प्रथम अनुसूची के आदेश 26 नियम 9 में उल्लेखित किसी कार्य हेतु न्यायालय किसी वाद में स्थानीय अन्वेषण किया जाना अपेक्षित व उचित (त्मुनपेपजम ंदक च्तवचमत) समझे और न्यायालय से कार्य हेतु राजस्व अधिकारी से भिन्न किसी उच्च अधिकारी के नाम कमीशन निकालना आवश्यक समझे, तब उस कार्यालय के प्रधान से जिसमें वह अधिकारी कार्यरत हो, अगर उस कार्यालय में वह अधिकारी की प्रधान हो, तो उस अधिकारी से जिनके अधीनस्थ वह अधिकारी हो, विचार करेगा कि क्या उसकी सेवायें, उस कार्य हेतु उपलब्ध हैं।

8. (1) अगर यह निश्चित हो कि उस अधिकारी की सेवायें उपलब्ध होगी तब कार्यालय के प्रधान या जिस अधिकारी से विचार किया गया था स्थानीय अन्वेषण के ऐसे खर्च का आकार विनिश्चित करेंगे, जो कमीशन निकाले जाने से पूर्व में न्यायालय में जमा कराया जावे।

(2) कार्यालय के प्रधान या ऐसे अधिकारी जिनसे विचार किया था, ऐसे खर्चे में निम्नलिखित खर्च का समावेश करेंगे–

(एक) उस अधिकारी के पद तो ध्यान में रखते हुए यात्रा भत्ते का अनुमानित आकार, और

(दो) स्थानीय अन्वेषण के काम की फीस,

(3) कार्य की प्रकृति स्थानीय अन्वेषण में लगने वाले अनुमानित दिन के अतिरिक्त जेब खर्च जो अधिकारी का उस समय होगा, जबकि वह स्थानीय अन्वेषण करेगा, को ध्यान में रखकर फीस नियत की जावेगी।

(4) वह अधिकारी जो कमीशन का निष्पादन करेगा सम्पूर्ण यात्रा भत्ता एवं आधी फीस प्राप्त करने का हकदार होगा और आधी फीस सरकार में जमा होगी। वह अधिकारी इससे भिन्न और यात्रा भत्ता या दैनिक भत्ता सरकार से प्राप्त करने का हकदार नहीं होगा।

(5) कमीशन निकालने के पूर्व न्यायालय ऐसे पक्षकार या पक्षकारों से और ऐसे अनुपात में जैसा उचित समझे यात्रा भत्ता एवं फीस न्यायालय में जमा करवायेंगे।

9. जिस आफीसर के नाम कमीशन निकाला जावेगा वह उस कार्यालय के प्रधान के मार्फत निकाला जायेगा, जिसके अधीनस्थ अधिकारी कार्यरत हो, अगर वह अधिकारी स्वयं कार्यालय का प्रधान हो, तो ऐसे अधिकारी के मार्फत निकाला जावेगा, जिसके अधीन वह कार्यरत हो।

•